रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1977/पौष 22, 1898
No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1977/PAUSA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 12th January 1977

S.O. 18(E).—The following draft of certain rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, which the Central Board of Direct Taxes proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 44AA, read with section 295, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 1st day of March, 1977.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with reference to the said draft before the said date will be considered by the Central Board of Direct Taxes.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rule, 1977.

2. In Part II of the Income-tax Rules, 1962, after dule 6E and before Sub-Part D, the following Sub-Part shall be inserted, namely:—

"C. *Books of account*

6F. *Books of account and other documents to be kept and maintained under section 44AA(3) by persons carrying on certain professions.*—(1) Every person carrying on legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or authorised representative or film artist shall keep and maintain the books of account and other documents specified in sub-rule (2).

(2) The books of account and other documents referred to in sub-rule (1) shall be the following, namely:—

(i) a daily cash book;

(ii) a journal, if the accounts are maintained according to the mercantile system of accounting;

(iii) a ledger;

(iv) duplicate copies of machine-numbered bills and receipts issued by the person;

(v) original bills and receipts in respect of expenditure incurred by the person or, where such bills and receipts are not issued and the expenditure incurred does not exceed twenty-five rupees, payment vouchers prepared and signed by the person.

Explanation.—In this rule,—

(a) "authorised representative" means a person who represents any other person, on payment of any fee or remuneration, before any tribunal or authority constituted or appointed by or under any law for the time being in force, but does not include an employee of the person so represented or a person carrying on legal profession or a person carrying on the profession of accountancy;

(b) "daily cash book" means a record of all cash receipts and payments, kept and maintained from day to day, and giving the cash balance in hand at the end of each day;

(c) "film artist" means any person engaged in his professional capacity in the production of a cinematograph film, whether produced by him or by any other person, as—

(i) an actor;

(ii) a cameraman;

(iii) a director, including an assistant director;

(iv) a music director, including an assistant music director;

(v) an art director, including an assistant art director;

(vi) a dance director, including an assistant dance director;

(vii) an editor;

(viii) a singer;

(ix) a lyricist;

(x) a story writer;

(xi) a screen-play writer;

(xii) a dialogue writer; and

(xiii) a dress designer.

(3) A person carrying on medical profession shall, in addition to the books of account and other documents specified in sub-rule (2), keep and maintain the following, namely:—

(i) a daily case register in Form No. 3C;

(ii) an inventory, as on the first and the last day of the previous year, of the stock of drugs, medicines and other consumable accessories used for the purpose of his profession.

(4) The books of account and other documents specified in sub-rule (2) and sub-rule (3) shall be kept and maintained by the person at the place where he is carrying on the profession or, where the profession is carried on in more places than one, at the principal place of his profession:

Provided that where the person keeps and maintains separate books of account in respect of each place where the profession is carried on, such books of account and other documents may be kept and maintained at the respective places at which the profession is carried on.".

3. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, after Form No. 3B, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 3C

[*See* rule 6F(3)]

Form of Daily Case Register

(To be maintained by practitioners of any system of medicine, i.e., physicians, surgeons, dentists, pathologists, radiologists, vaids, hakims, etc.)

Date	S. No.	Patient's name	Nature of professional services rendered, i.e., general consultation, surgery, injection, visit, etc.	Fees or charges for services rendered	
				By cash Rs.	By cheque Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

[No. 1620/F. No. 133(102)/76-TPL]

S. N. SHENDE,

Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1977

का०आ० 18 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44कक की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में कतिपय और संशोधन करना चाहता है। संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है, प्रकाशित किया जा रहा है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 1 मार्च, 1977 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से उक्त तारीख के पूर्व जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड उन पर विचार करेगा।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम आयकर (संशोधन) नियम, 1977 है।

2. आय-कर नियम, 1962 के भाग 2 में, नियम 60 के पश्चात् और उपभाग ख के पूर्व निम्नलिखित उपभाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"गग. लेखा पुस्तकें

6च धारा 44 (3) के अंतर्गत उन व्यक्तियों द्वारा, जो कतिपय वृत्तियां अपनाए हुए हैं, रखी जाने तथा बनाई रखे जाने वाली लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज—

(1) विधिक, चिकित्सकीय, इंजीनियरी या वस्तु कलात्मक वृत्ति अथवा लेखा कार्य या तकनीकी परामर्श कार्य या अन्तर सज्जा कार्य संबंधी वृत्तियां, प्राधिकृत प्रतिनिधि या फिल्मी कलाकार की वृत्ति अपनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट लेखा-पुस्तकें तथा अन्य दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) दैनिक रोकड़ बही;

(ii) यदि हिसाब, लेखा विधि की व्यापारिक प्रणाली के अनुसार रखा जाता है तो एक नकलबही (जनरल);

(iii) एक खाताबही (लैजर);

(iv) व्यक्ति द्वारा दिए गए मशीन संख्यांकित बिलों और रसीदों की दूसरी प्रतियां;

(v) व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय के संबंध में मूल बिल और रसीदें, या जहां ऐसे बिल और रसीदें नहीं दी जाती हैं तथा उपगत व्यय पच्चीस रुपए से अधिक का नहीं है वहां व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए और हस्ताक्षर किए गए संदाय वाऊचर।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में,—

(क) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो फीस या पारिश्रमिक दिए जाने पर, किसी अधिकरण अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन गठित या नियुक्त किए गए प्राधिकारी के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु इसमें इस प्रकार जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसका कर्मचारी या विधिक कार्य वृत्ति कर रहा अथवा लेखाकार्य वृत्ति कर रहा कोई व्यक्ति नहीं आता;

(ख) "दैनिक रोकड़ बही" से सभी नगदी प्राप्तियों और संदायों का वह अभिलेख अभिप्रेत है जो दिन-प्रति-दिन रखा और बनाए रखा जाता है तथा जिससे प्रत्येक दिन के अन्त में नगदी हाथ रोकड़ प्रकट होती है।

(ग) "फिल्मी कलाकार" से सिनेमा फिल्मों के निर्माण में, जिसका निर्माण चाहे वह स्वयं कर रहा हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो, निम्नलिखित की हैसियत से अपनी वृत्ति के रूप में अपनाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) कलाकार ;

(ii) कैमरामैन ;

(iii) निदेशक, जिसमें सहायक निदेशक भी आता है ;

(iv) संगीत निदेशक, जिसमें सहायक संगीत निदेशक भी आता है ;

(v) कला निदेशक, जिसमें सहायक कला निदेशक भी आता है ;

(vi) नृत्य निदेशक, जिसमें सहायक नृत्य निदेशक भी आता है ;

(vii) सम्पादक (एडीटर) ;

(viii) गायक ;

(ix) गीतकार ;

(x) कथा लेखक ;

(xi) मंच कथा लेखक ;

(xii) संवाद लेखक, तथा

(xiii) ड्रैस डिजाइनकर्ता

(3) चिकित्सा वृत्ति अपनाने वाला व्यक्ति उप-नियम (2) में निर्दिष्ट लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त, निम्नलिखित भी रखेगा और बनाए रखेगा, अर्थात् :—

(i) प्ररूप 3ग में एक दैनिक रोगी रजिस्टर ;

(ii) पूर्व वर्ष के प्रथम तथा अन्तिम दिन विद्यमान दवाइयों ओषधियों तथा अन्य उपयोज्य उपसाधनों के स्टाक की तालिका जो उसने अपने व्यवसाय के प्रयोजन के लिए उपयोग में की हों ।

(4) उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज व्यक्ति द्वारा उस स्थान पर रखे और बनाए रखे जायेंगे जहां वह वृत्ति को अपनाए हुए है अथवा यदि वृत्ति एक से अधिक स्थानों पर अपनाई जा रही है तो वृत्ति के प्रधान स्थान पर रखे और बनाए रखे जायेंगे ;

परन्तु जहां व्यक्ति ऐसे प्रत्येक स्थान के संबंध में, जहां वृत्ति अपनाई जा रही है, पृथक लेखा पुस्तकें रखता है और बनाए रखता है वहां ऐसी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज ऐसे संबंधित स्थानों पर, जहां वृत्ति अपनाई जा रही है, रखे और बनाए रखे जायेंगे ।" ।

3. आय-कर नियम, 1962 के उपाबन्ध 2 में, प्ररूप सं० 3ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं० 3ग

[नियम 6च (3) देखिए]

दैनिक रोगी-रजिस्टर का प्ररूप

(किसी भी प्रकार की चिकित्सा पद्धति वाले चिकित्सा व्यवसायियों, अर्थात्, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, दन्त शल्य चिकित्सक, रोगविज्ञानी विकीर्ण चिकित्सक, वैद्य, हकीम, आदि द्वारा रखा जाएगा)।

तारीख	क्रम सं०	रोगी का नाम	की गई वृत्तिक सेवा की प्रकृति, अर्थात् सामान्य परामर्श, शल्य-चिकित्सा, इंजैक्शन लगाना, देखने जाना आदि।	की गई सेवा के लिए ली गई फीस या प्रभार	
				नगद में	चैक द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

[सं० 1620/फा० सं० 133(102)/76-टी० पी० एल०]

एस० एन० शेंडे, सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977